



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(पूर्ववर्ती काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) (Sponsored by Bank of Baroda)

प्रधान कार्यालय: बुद्ध बिहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर- 273016

क्षेत्रिय कार्यालय-चौक, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सार्वजनिक
नीलामी
27.12.2022

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पूर्णनिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) के साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

यह कि बड़ौदा यू.पी. बैंक प्रधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्णगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट 2002) की धारा 13 (12) सप्तित नियम 8 व 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधकर्ता (ओं) को माँग पत्र जारी किया गया है जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी है। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधकर्ता (ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधकर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्रधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता (ओं) बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें यह सम्पत्ति बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्च देय है यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधकर्ता (ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्रधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/विड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री निम्नानुसार वर्णित तिथित के अनुसार "जो है जैसे है" तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 26.12.2022 तक बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रिय कार्यालय- दामोदर भवन चौक, आजमगढ़- उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदा तिथि 27.12.2022 को दोपहर 11.00 से 4.00 बजे तक बड़ौदा यू.पी. बैंक क्षेत्रिय कार्यालय- दामोदर भवन चौक, आजमगढ़- उत्तर प्रदेश में खोली जायेगी।

क्रम संख्या	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता	सम्पत्ति का विवरण/स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि/प्रारूप सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य/ई.एम.डी	
1.	ऋणी- 1. मेसर्स शिफा इण्टरप्राइजेज प्रो० मो० हरीश पुत्र शमिम अहमद, पता- ग्राम व पो०- मुजफ्फरपुर, तहसील- मेहनगर, जिला- आजमगढ़, बंधकर्ता/ जमानतदार- 1. श्रीमती सरस्वती देवी पल्ली जगदीश सिंह, ग्राम- थानौली, तहसील- मेहनगर, जिला- आजमगढ़। जमानतदार- 2. श्री मुश्तकीम पुत्र अनुलहुक, पता - ग्राम व पो० मुजफ्फरपुर, जिला- आजमगढ़। शाखा: बिंद्रा बाजार, खाता सं०: 111126110050674 व 111125010054122	पता: प्लॉट सं० - 151, विक्र्य पत्र सं०- 201 दिनांक 06.02.2012, ग्राम- थानौली, क्षेत्रफल- 112 लिंक, तहसील- महनगर, जिला- आजमगढ़। स्वामी श्रीमती सरस्वती देवी पल्ली जगदीश सिंह सम्पत्ति की चौहड़ी - उत्तर- कपिल की जमीन, दक्षिण- लिंक रोड, पूर्व- लेन रोड, पश्चिम- भीम की भूमि।	पता: प्लॉट सं० - 151, विक्र्य पत्र सं०- 201 दिनांक 06.02.2012, ग्राम- थानौली, क्षेत्रफल- 112 लिंक, तहसील- महनगर, जिला- आजमगढ़। स्वामी श्रीमती सरस्वती देवी पल्ली जगदीश सिंह सम्पत्ति की चौहड़ी - उत्तर- कपिल की जमीन, दक्षिण- लिंक रोड, पूर्व- लेन रोड, पश्चिम- भीम की भूमि।	21.11.2020 22.04.2022 सांकेतिक कब्जा	RS. 447993.76 +820203.19 As on 31.03.2020 + ब्याज एवं अन्य खर्च	1837080.00 आरक्षित मूल्य 183708.00 ई.एम.डी

विक्रय के नियम एवं शर्तें- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अधिम रूप से बैंकस घेक डिमांड ड्राप्ट द्वारा जो प्राधिकृत बड़ौदा यू.पी. बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ संलग्न करे। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को छोड़कर) 24 घंटे के अन्दर अंतरण के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 65 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर पत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अंवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशि जप्त की जा सकती है। 4. प्राधिकृत अधिकारा को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से संबंधित किसी चार्ज, लियन, भार, प्रोपर्टी, टैक्स, सरकारी ड्यूटी, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय बदलाव सकता है। 6. प्राधिकृत अधिकारी एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 7. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 8. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुनः बिंदिंग करा ले। 9. निविदा/विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायेगी। 10. यदि कोई ऋणी/जमानतदार/बंधकर्ताओं नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 (By the Security Interest Enforcement Rules, 2002 (Enforcement) Amendment Rules, 2002) धारा 13 की उप धारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार/बंधकर्ताओं की नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोचित कराने सम्बन्धित सभी अवसर उपलब्ध है। 11. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से पहले से समय ले कर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 12. यह सेल नोटिस ऋण कर्ता (ओं) / गरंटी कर्ता (ओं) / बंधक कर्ता (ओं) के लिए विशेषरूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋण ग्रहिता/ जमानतदारों/बंधकर्ता (ओं) विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दे, इसमें असफल रहने पर बंधक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित ली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति ऊपर लिखित विवरण के अनुसार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 23.12.2022 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मो० 9473744988 व 9026876363 पर संपर्क कर सकते हैं।

नोट: प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की ब्रुटि होने पर सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।